न्यायालय–ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

<u>आपराधिक प्रक0क्र0 1387</u> / 15

संस्थित दिनाँक-28.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र–गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मुळेश पुत्र नाथूराम शर्मा उम्र 45 साल निवासी नदीपार टाल जोधानगर मुरार

.....अभियुक्त

<u> –:: निर्णय ::–</u> **(आज दिनांक 27.01.2017 को घोषित)**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, इसके अतिरिक्त आहत सुकलेश के संबंध में 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पूरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0-3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर सुकलेश को घोर एवं साधारण उपहति कारित की।

- प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि फरियादी / आहत प्रदीप द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को आहत प्रदीप के संबंध में भादिव0 की धारा 337, का उपशमन किया गया है। आहत सुकलेश के संबंध में धारा 337, 338 एवं 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी प्रदीपसिंह दिनांक 28.05.15 को अपने गांव गोअरकलां से मोटरसाईकिल एम०पी०-07 एम०यू०-5085 पल्सर से ग्वालियर जा रहा था जिस पर उसकी चाची सुकलेश भी बैठी थी। जैसे ही भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर हरगोविंद पुरा के पास आया तब करीब 9:30 बजे शाम भिण्ड की तरफ से एक लोडिंग टाटा 407 एम0पी0–07 जी०ए०-3104 का चालक गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल में पीछे से टक्कर मार दी जिससे उसकी चाची सुकलेश के बांए पैर, ठोडी, शरीर में जगह जगह चोटें आई। फिर एम्बुलैंस 108 से जेoएo अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जहां से दिल्ली रैफर कर दिया। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट से दिनांक 06.06.15 को अपराध क0 129/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती

पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न आने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं किया गया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन कमांक एम0पी0—07 जी0ए0—3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर आहत सुकलेश को उपहति तथा घोर उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुकलेश अ०सा० 1, डा० सुरेन्द्रसिंह यादव अ०सा० 2, रामकरन अ०सा० 3, प्रदीपसिंह अ०सा० 4, महेश अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेत् एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 7. प्रकरण में फरियादी प्रदीप अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 28.05.15 को रात्रि करीब 9–9:30 बजे वे अपने गांव गोअरकलां से मोटरसाईकिल नंबर एमपी०—07 एम0यू०—5085 से अपनी चाची के साथ ग्वालियर जा रहे थे और हरगोविंद पुरा के पास अचानक पीछे से गाडी आ गयी और उनमें टक्कर मार दी जिससे साक्षी की चाची सुकलेश व वह गिर पड़ा, उसकी चाची को बांए पैर में चोट आई थी। इसके बाद उसने 108 (एम्बुलैंस) को फोन लगाया और सीधे जे०ए० अस्पताल गए। वहां से चाची का इलाज दिल्ली में सफदरगंज में हुआ था और आज भी चल रहा है। घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 3 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी० 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी० 4 पर ए से ए भाग पर अपने अभिसाक्ष्य में न तो घटना में लिप्त वाहन का कोई नंबर बताते हैं और न हीं उसे चलाने वाले व्यक्ति व चलने की रीति के संबंध में कोई भी कथन करते हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। अतः साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करता जिससे मामला दुर्बल हो जाता है।

- 8. सुकलेश अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करती हैं कि उनके साक्ष्य दि० 22.09.16 से एक साल पांच माह पहले शाम करीब 9 बजे की घटना हैं वे ग्वालियर से अपनी ससुराल गोअरकलां जा रही थी। मोटरसाईकिल को उनका भतीजा प्रदीप चला रहा था जिसे पीछे से एक लोडिंग ने टक्कर मार दी। टक्कर में उनका बांया पैर कट जाने व चेहरे व हाथ पर चोट आने का कथन करती हैं। इस साक्षी द्वारा भी घटना में लिप्त कथित लोडिंग का नंबर, उसके चालक तथा चलने की रीति के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष दोही घोषित कर दिया गया तो साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रपी० 1 का ए सेए भाग का कोई भी कथन पुलिस को दिए जाने से इंकार किया है। इस तथ्य से भी इंकार किया कि वाहन नंबर एम०पी०-07 जी०ए०-3104 के चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। इस तथ्य से भी इंकार करती है कि उसके जेट के पहुंचने पर चालक ने उसका नाम मुकेश शर्मा बताया था। इस प्रकार से यह साक्षी अभियोजन के मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं करती है। सुकलेश अ०सा० 1 एवं फरियादी प्रदीप अ०सा० 4 दोनों के द्वारा उनके गंतव्य के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन किया गया है। जहां प्रदीप अ०सा० 4 गांव गोअरकलां से ग्वालियर जाना बताता है वहीं सुकलेश अ०सा० 1 ग्वालियर से अपनी ससुराल गोअरकलां जाने का कथन करती हैं। इस प्रकार से उनके कथनों में सारवान विरोधाभास दर्शित है।
- 9. डा० सुरेन्द्रसिंह यादव दिनांक 29.05.15 को जे०ए० अस्पताल ग्वालियर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ होने और उक्त दिनांक को 12:15 बजे रात्रि में आहत सुकलेश के शासकीय अस्पताल गोहद द्वारा रिफर किए जाने पर परीक्षण करने पर उसे बांए जांघ में चोट, बांए घुटने में चोट पाए जाने का कथन करते हैं। आहत को उनके व सहयोगिया द्वारा आपरेशन कर बाहर से घुटने में स्कू व राड द्वारा उपचार कर खून के संचार की सर्जरी विशेषज्ञ हेतु रिफर किया गया था। इस प्रकार से साक्षी आहत सुकलेश को घटना दिनांक 28.05.15 को चोट के संबंध में संपुष्टिकारक कथन करते हैं।
- 10. साक्षी रामकरन शर्मा अ०सा० 2 मैकेनिकल जांच साक्षी हैं जो दिनांक 22.12.15 को जब्तशुदा वाहन कमांक एम०पी०–07 जीए०–3104 टाटा 407 की मैकेनिकल जांच करने का कथन करते हैं। साक्षी महेशिसंह गुर्जर अ०सा० 5 जो उक्त वाहन का स्वामी हैं वह अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करने में अस्मर्थ है कि दिनांक 28.05.15 को उक्त लोडिंग एम०पी०–07 जी०ए०–3104 को कौन चला रहा था। यह साक्षी भी प्रमाणीकरण प्र०पी० 7 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है परंतु उक्त दस्तावेज थाने पर गाडी लेने जाते समय पुलिस द्वारा हस्ताक्षर कराए जाने का कथन करते हैं। ऐसे में अभियुक्त के द्वारा वाहन चलाए जाने व अभिकथित वाहन एम०पी०–07 जी०ए०–3104 टाटा 407 गाडी थी इस संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य नहीं हैं।

- 11. फरियादी प्रदीप अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में लेखीय आवेदन प्र०पी० 3, प्राथमिकी प्र०पी० 4 के बी से बी भाग तथा पुलिस कथन प्र०पी० 6 के ए से ए भाग में उल्लेखित तथ्यों को लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार करते हैं। सुकलेश अ०सा० 1 अपने पुलिस कथन प्र०पी० 1 में उल्लेखित विनिर्दिष्ट ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर वैसा कथन देने से इंकार करती हैं। उक्त दोनों ही साक्षी घटना के सर्वोत्तम साक्षी हैं किन्तु दोनों ही साक्षी घटना में वाहन एम०पी०—07 जी०ए०—3104 की संलिप्तता, उसके चालक की पहचान तथा उसे उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने की रीति के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। प्र०पी० 3 का लेखीय आवेदन के आधार पर प्राथमिकी प्र०पी० 4 घटना दिनांक से 9 दिन बाद लेख की गयी है।
- अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी प्रदीप द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया वह आहतगण का राजीनामा हो जाने से उनके द्वारा अभियुक्त के संबंध में कथन नहीं किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम तो आहत सुकलेश की ओर से कोई राजीनामा पेश नहीं हुआ है फिर भी उसके द्वारा कोई समर्थन नहीं किया गया है। साक्षियों ने राजीनामा के कारण अभियुक्त के संबंध में मिथ्या कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। दण्ड विधि में आहत साक्षी का यह उद्देश्य रहता है कि वह सही व्यक्ति के संबंध में साक्ष्य दे। ऐसे में मात्र कल्पना आधारित विलंब से की गयी प्राथमिकी व स्वयं सर्वोत्तम साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन न किया जाना अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान आधा प्रस्तुत नहीं करते हैं। जहां तक प्राथमिकी व पुलिस कथनों का प्रश्न हैं तो सुस्थापित विधि है कि प्राथमिकी व पुलिस कथन सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका उपयोग मात्र विरोधाभास व लोप के संबंध में किया जा सकता है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान <u>न्यायदृष्टांन्त— रवि कुमार वि० स्टेट ए आई आर 2005</u> सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पृष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है।
- 13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष

समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त भूरा के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 28.05.15 को करीब 21:30 बजे आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा अंतर्गत भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग स्थित हरगोविंद पुरा के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन क्रमांक एम0पी0—07 जी0ए0—3104 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी प्रदीप की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर सुकलेश को घोर एवं साधारण उपहित कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, इसके अतिरिक्त आहत सुकलेश के संबंध में संहिता की धारा 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी उसके निवेदन पर मुचलका 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 15. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन एम0पी0—07 जी0ए0—3104 उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०कं० गुप्ता न्यायिक मिणस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, हि गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश